Shri Rajnaram made a number of points about corruption and so on Sir, there are a series of judgements of the Election Tribunal and the Supreme Court on the question of holding government contracts and licences Mr Justice Gokhale need not be reminded about them. He will take care of those decisions I would like the Minister to bring a comprehensive amendment I do not know what has happened to the revision of the election law which was going on I was told it was to be introduced in this Session. Disqualifications are going to be removed I do not know at what stage the proceedings of this Committee are I hope that the Government would regard this debate as a provocation for continuing a study of this matter and bring a comprehensive revision of the electoral law

I would like to make one observation on a very good speech made by Mr Balachandra Menon who said that there should be age limit also. The Constitution has prescribed an age limit for entering Parliament and the Legislative Assembly I think Mr Akbar Khan would agree with me that after 70 nobody should stand for membership Seventy is a good age for retirement

SHRI AKBAR ALI KHAN Agreed.

SHRI A D MANI : I make this suggestion to the hon'ble Law Minister I want to draw the attention of Mr. Justice Gokhale to the suggestion of putting an upper age limit also on candidates standing for election Politicians should retire at the age of 70 We want young blood to come in We want this country to be run by new generation

SHRI KRISHAN KANT : What is your age ?

SHRI A D MANI : I am 61. Sir, I beg leave of the House, in view of the wishes expressed by Members, to withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF THE ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 31 GIVEN IN THE RAJYA SABHA ON THE 16TH NOVEMBER, 1971 REGARDING BENEFIT OF PENSION AND RE-EMPLOYMENT TO EMERGENCY COMMISSIONED OFFICERS

डा० भाई महावीर (दिल्ली) : उपसभापति महोदय, पिछली 16 तारीख को मैंने रक्षा मंत्री महोदय से एक सवाल पूछा था, इमरजेन्सी कमिशन्ड आफिसर्स के बारे में । उस सवाल के सबंध में आधे घंटे की चर्चा करने की आज जो अनुमति मुझे मिली है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

महोदय, प्रश्न वहां से प्रारम्भ होता है जहां 1962 में चीनी आक्रमण के समय भारत में संकटकालीन स्थिति घोषित की गई । उस संकट-कालीन स्थिति के समय अपने देश के बहुत से जवानों को, बहुत से युवकों को इस बात की प्रेरणा हुई कि देश की रक्षा के लिए, सेना की शक्ति बढाने की इच्छा से वे लोग आए । वे कमीशन लेकर सेना में लडे, मोर्चे पर गए, उन्होंने तकलीफें उठाई, कुर्बानियां भी दीं और 1967 में जब इमरजेन्सी समाप्त हो गई तो उन इमरजेन्सी कमीशन्ड आफिसर्स को जिनका संक्षिप्त नाम के रूप में ई० सी० ओ० कहा जाता है सेना से मुक्त किया गया, और वे लगभग 2 साल के दौरान अलग-अलग टुकडों में अलग-अलग वैचेज में मुक्त हुए। उन लोगों ने जिनको कि इस इमरजेन्सी के समय कमीशन दिए गए थे अनुरोध किया कि सामान्य नियमों में पन्द्रह वर्ष की जो शर्त है पेन्शन के लिए, उसे नरम करके उन्हें भी पेन्शन के उपयुक्त, पेन्शन के योग्य मान लिया जाए । महोदय, काफी देर कोशिश करने के बाद पहली जून, 1969 को यह फैसला लागू किया गया कि जो ई० सी० आज० उसके बाद रिलीज हुए हैं यदि वे 15 वर्ष की अपनी सेवा की अवधि पूरी भी नहीं कर चुके थे, लेकिन 12 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके थे तो उनको प्रपोर्शनेट पेन्शन, आनुपातिक पेन्शन, दी जाए । यह एक तरह से उस नियम को नरम करने की बात थी, जिस नियम का अगर कठोरता से पालन किया जाता तो ये पेन्शन के लिए हकदार नहीं बनते थे । जहां पर मैं सरकार को इस उदारता या इस कंसीडेट और न्यायपूर्ण फैसले के लिए बधाई देता हूं, वहां पर मैं यह

[डा. भाई महावीर]

सरकार और इस समय रक्षा मन्त्री यहां उपस्थित है, उनके ध्यान मे यह बात लाना चाहता हू कि इस निर्णय से कुछ लोगो के साथ जो अन्याय हुआ है, वह अन्याय किसी देश को शोभा नही देता, क्योकि जिन लोगो के साथ अन्याय हुआ है वह वे ही लोग है जिन्होने सकट के वक्त अपनी जान जोखिम मे डाल कर देश की रक्षा के वास्ते देश भक्ति की पुकार को सुना ।

महोदय, हुआ यह कि मैने जो प्रश्न 16 नवम्बर को पूछा था वह इस प्रकार था कि क्या वे अफसर भी जिन्होने 12 वर्ष या इससे भी अधिक समय तक सेवा की है, किन्तु जो 1 जून, 1969 से पूर्व सेवामुक्त हो गए थे इस लाभ के पात्र होगे ? तो मुझे जो उत्तर दिया गया मन्त्री महोदय की तरफ से वह नही मे था । और क्यो इस प्रश्न के (ग) के उत्तर मे यह कहा गया--

"According to the rules in force at the time of their release, those Emergency Commissioned Officers who had risen from the ranks and were released before 1st June, 1969, were not eligible for a pension unless they had completed 15 years service. Such of them as did not fulfil this condition were given a terminal gratuity in accordance with their entitlement under the rules."

महोदय, यह प्रश्न इसी मे से उठता है कि जिन लोगो को टर्मिनल ग्रैच्युटी दी गई, जहा तक मै जानता हू और मुझे पता लगा है इसकी जो दर थी वह एक साल की सेवा के लिए 1,000 रु० थी । लगभग तीन, चार साल इमरजेन्सी के दौरान उन्होने सेवा की थी। तो औसतन 4,000 रु० के करीब उनको मिला । महोदय, मै समझता हू कि सरकार ने जो निर्णय किया उसमे, इस थोडी सी बचत के कारण, जो उसकी शोभा थी, जो उसके अदर गुण था, वह गुण बिगडा है और वह शोभा नही रही । महोदय, कहना यह है कि जिन लोगो को टर्मिनल बैनिफिट के नाम पर यह कुछ धनराशि दी गई है, वे लोग है जिनको पेशन मिली है । वह किसी रूप मे कम नही है जो दो वर्षों मे बैचेज मे ईसी आज रिलीज किये जाते रहे है । तो जो पाच बैचेज मे रिलीज किये जा चुके थे वे कम योग्य नही थे । उनका हक कम नही बनता था, जो एक जून के बाद रिलीज होने वाले थे । यह कौन सी रेखा लगाई गई है और इस तरह मे लक्ष्मण रेखा लगाने का क्या कारण है कि इनसे पहले जो जा चुके थे उनको इस पेशन का हकदार नही माना गया, हालाकि दूसरी तरफ जिनको पेशन मिली है मै समझता हू 100, 115, 150 पेशन के लिए हकदार बनते है---और अगर औसत उम्र गिनी जाय तो 30—32 साल होगी और उन्हे पाच, सात और दस गुना लाभ हो सकता था । और वे उस लाभ के हकदार थे । मै मन्त्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हू कि जिन लोगो को हटाया गया है, जो फिजीकली या मेडिकली अनफिट नही थे, शारीरिक दृष्टि से जो हर तरह से सक्षम थे, उन्हे रैंगुलर कमीशन मे नही लिया गया और कारण यह था कि रेगुलर कमीशन मे स्थान सीमित थे जो किसी और को दिये जा सकते थे । स्थान सीमित होना यह उनका दोष नही था । अगर इन कम स्थानो मे नही आ सके तो इसके कारण दो प्रकार के वर्ग बने उन्ही लोगो मे और मै समझता हू कि यह एक अन्याय-पूर्ण बात है और किसी भी सिद्धान्त तथा दृष्टि से उचित नही है ।

कुछ इसमे और अन्याय की बात मुझे नजर आई और मै उसे मन्त्री जी के ध्यान मे लाना चाहता कि जहा पर थल सेना या जल सेना के लोग भी जो इमरजेन्सी कमीशन के लिए आये थे उनको इमरजेन्सी समाप्त होने के बाद पुराने पदो पर ले लिया गया । वायसेना के रेक मे से जो निचले दर्जे के जो कमिशन्ड आफिसर बन कर आये थे उनको वायु सेना ने वापस नही लिया । वायु सेना ने उनसे यह कहा कि जब आप थल सेना मे गये तो आपकी जिम्मेदारी थल सेना की हो गई आपको वे ही आबजर्व करे और हम तुमको पुराने स्थानो पर नही ले सकते है । परिणाम यह हुआ कि ये लोग न पुरानी नौकरियो मे ही लिये गये और न ही इनको पेशन दी गई और इस तरह से सडको पर घूमने के लिए इन्हे छोड दिया गया । मै इनमे से कुछ ऐसे लोगो को जानता हू जिनकी मेहनत, जिनका स्वास्थ्य, जिनकी मन स्थिति देख कर जिनकी भावना देखकर कोई भी देश गर्व कर सकता है, अभिमान कर सकता है कि वे किस तरह के जवान है और किस तरह के उनके विचार है । आज हम उनको जगह-जगह पर ठोकर खाते देखते है अपनी गुजर के लिए और अपनी बीवी बच्चो के निर्वाह के लिए ।

महोदय, यह जो विभेद हुआ है, उसको मैं विशेष रूप से सरकार के सामने रखना चाहता हू । यह जो डिसक्रिमिनेशन हुआ, उस विभेद मे ई सी ओज की उसी श्रेणी मे दो तरह के लोग बन गये है जो एक जून, 1969 के पहले रिलीज हो चुके थे और जो एक जून, 1969 के बाद रिलीज हुए। यानी 14 वर्ष 11 महीने और 29 दिन की जो सेवा कर चुके थे, लेकिन वे रिलीज हुए 1 जून के पहिले और उनको पेशन का हकदार नही माना गया और जो 1 जून के बाद रिलीज हुए उतनी सेवा मे यह 12 वर्ष के बाद, उनको पेशन का हकदार माना गया । इस तरह का जो भेदभाव किया गया है, वह कहा तक उचित है ? मै चाहता हू कि सरकार इस पर इस दृष्टि से देखे ।

मुझे बतलाया गया है कि फाइनेन्स मिनिस्ट्री ने जिस दिन इस सम्बन्ध मे फैसला किया उस दिन के बाद से लागू होता है । रिट्रोस्पेक्टिव एफक्ट, इस तरह के निर्णय को नही लिया जा सकता है । हो सकता है फाइनेन्स नियमो मे और आडिटर के अब्जेक्शन के नियमो को ध्यान मे रख कर सरकार को इस तरह की शर्त लगानी पडती है, लेकिन केवल फाइल का चक्कर नही है, केवल नियमो की बारीकियो के अन्दर आड लेने का सवाल नही है, बल्कि सरकार को सोचना चाहिये कि इस तरह के विषय पर एक मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिये । सरकार को खास कर उन लोगो का विचार करना चाहिये जिन व्यक्तियो ने देश की पुकार पर अपनी जान हथेली पर रख कर आगे बढने का फैसला किया था । आज इस तरह से एक दिन जो फाइनैंस मिनिस्ट्री ने फैसला किया उस दिन को हम लोग दिन मान ले और उसके पहिले के लोगो के लिए एक व्यवहार करे और उसके बाद के लोगो के लिए दूसरा व्यवहार करे यह किसी भी दृष्टि से मुझे उचित मालूम नही देता है ।

मुझे विदित हुआ है और मै जानता हू कि रक्षा मत्रालय इस हक मे शायद है, लेकिन वित्त मंत्रालय इसको मानने के लिए तैयार नही है । मै सरकार के सामने यह अनुरोध करूगा कि इस तरह की बात को और इस पक्षपात को अपने पास से दूर करे और इन पुराने ई सी ओज के साथ न्याय करने का फैसला करे।

इसी तरह के पक्षपात और विभेद का एक उदाहरण मेरे सामने और आया है । 1962 के पहले नागा विद्रोहियो के साथ लड़ते हुए जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो सेना म जवान आफिसर थे। उनको जो पेशन मिलती है वह कम है । 20-10-62 को जब यह आपरेशन एरिया डिक्लेयर किया गया था चीनी आक्रमण के समय, उसके बाद जो लोग वहा पर काम आये उनको जो पेशन मिलती है वह ज्यादा है । मै उन आर्मी आफिसर और जवानो की बात कर रहा हू, जो चीन के साथ नही बल्कि विद्रोही नागाओ के साथ लडते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे । 20-10-62 मे चीनी आक्रमण के बाद देश मे सकट की स्थिति की घोषणा की गई थी, तो कानूनी तौर पर यह ठीक होगा कि आपरेशन एरिया बनने के बाद पैशन रूल्स कुछ ज्यादा हो और उसके पहिले वह कंसेशनल एरिया था जो बाद मे नागालैंड बना । कंसेशनल एरिया मे जो पैशन रूल्स थे वे कम थे । तो मेरा आग्रह यह है कि इसमे एक ही श्रेणी के अन्दर आने वाले दो प्रकार के लोगो को केवल इस वास्ते कि उस समय चीन का आक्रमण नही हुआ था और उन्होने जो काम किया वह एक ही तरह का था और उनके साथ भी सरकार को एक ही तरह का व्यवहार करना चाहिए था ।

महोदय, मुझे जो कहना था उसको मैं केवल एक बात से समाप्त करूगा । इस समय राष्ट्रीय संकट है और आज इस प्रश्न को जब मैं उठा रहा हू तो मुझको लगता है कि सरकार और इस सदन के सभी सदस्य इस बात को स्वीकार करेगे कि जब देश के ऊपर फिर संकट के बादल है, फिर शत्रु हमे ललकार रहा है, हम चाहेगे कि हमारे जवान जब इस समय देश की रक्षा के लिए भारत की पुकार सुन कर आगे बढ़े तो ऐसे मौके पर अपने देश के किन्ही अफसरो या जवानो के मनो मे यह भावना न रहे कि यह देश या यह सदन या यह सरकार उनकी किसी शिकायत को सुनने मे देर लगाती है या सुनने के लिए तैयार नही होती । देश के अन्दर विस्फोटक गतिविधिया होती है । मैं तो यह मान कर चलने के लिए तैयार हू कि कई समस्याए राजनैतिक दल पैदा करते है । अभी कल आपने समाचारपत्रो मे पढा होगा कि बिहार प्रदेश के एक मत्री और एक भूतपूर्व मत्री के ऊपर सी०बी०आई० ने इस तरह का आरोप सच पाया कि वे पाकिस्तानी तोडफोड करने वालो के साथ मिले है । महोदय, ये समस्याए ऐसी है कि जिन्हे देख कर सेना के कार्य की गम्भीरता, उसकी महत्ता, उसका गौरव और बढ जाता है और इसलिए मै मत्री महोदय से, सरकार से अनुरोध करूगा कि इस बात को केवल राजनीतिक दृष्टि से न देखे । मैंने इसको किसी राजनैतिक लाभ के विचार से नही उठाया

[डा० भाई महावीर]

सेना के जवानो के प्रति न्याय हो, पुराने जो कमीशन्ड आफिसर्स है, उनके साथ उदारता का व्यवहार किया जाय, विभेद या पक्षपात जहा दिखाया जाता है चाहे वह किसी व्यक्ति के खिलाफ, होने की वजह से न हो, लेकिन फैसलों के चलने मे जो देर लगती है उसके कारण एक दिन फैसला हुआ तो उस दिन को पकड कर उसमे पहले जा चले गए उनके लिए एक अलग दृष्टिकोण यह हमारे लिए शोभा देने वाली चीज नही है । इसलिए मै सरकार से, मन्त्री महादय से आग्रह करूगा कि व इस सम्बन्ध मे विचार करके मानवतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाए और इस विभेद और पक्षपात की बात को समाप्त करे ताकि सेना के जवानो का यह लगे कि जब हम अपना खून देने के लिए आगे बढते है तो सारा देश सहानुभूति मे उनके साथ रहता है और उनकी उचित मागो के वास्ते खडा होता है और सरकार भी उनकी बात को उतने ही ध्यान से सुनती है, जितने ध्यान मे सुनना चाहिए ।

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) मे राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य, डा० महावीर ने इस प्रश्न को इस सदन मे उठाया । मै जानता हू कि इसमे उनका कोई राजनीतिक विचार नही है और न ही सरकार ने इसको राजनीतिक प्रश्न के रूप मे अभी तक देखा है। यह प्रश्न तो शुद्ध रूप से शासकीय प्रश्न है । जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वय कहा, इस प्रश्न के ऊपर जो निर्णय होगा, उसका असर केवल इसी प्रश्न तक सीमित नही रहेगा । उन्होने और भी उदाहरण दिए, जैसे विद्रोही नागाओ के साथ लडने वालो का या उसके बाद के लोगो का जो प्रश्न है । और भी कई तरह के सम्बन्धित प्रश्न है । तो अगर एक प्रश्न के ऊपर निर्णय किया जाता है—उसके औचित्य या अनौचित्य का सवाल न भी करे—उसका व्यापक प्रभाव काफी बडी मात्रा मे हमारे देश मे पडेगा । यह तो केवल एक सुरक्षा मत्रालय की बात थी । सुरक्षा मत्रालय के बाद जो दूसरे और बडे-बडे मत्रालय है भारत सरकार के उनमे भी कई ऐसे उदाहरण हो सकते है, जिनमे एक विशेष तिथि से कोई निर्णय लागू कर दिया गया हो और वैसा करने मे अगर कही विभेद रहता है तो वह स्वाभाविक है । पहले के एक निर्णय को बदल कर दूसरा निर्णय करते हैं, चाहे उसको ज्यादा उदार बना दे या अनुदार बना दे तो दो विभेद तो हो ही जाते है और दो विभेद होने के बाद हम कहे कि उस पर फिर विचार करना चाहिए तो उसके जो परिणाम होगे वे इतने दूरगामी होगे कि उसमे फिर यह नही कहा जा सकता कि केवल यह सुरक्षा के जो अधिकारी है उन्ही तक सीमित रहेगा । सुरक्षा दल मे काम करने वाले या सेना मे काम करने वाले जो लोग है वे विशिष्ट महत्व रखते है, पर फिर भी मानवीय ढग से जिस तरह माननीय सदस्य ने इस प्रश्न को हल करने की बात कही है, मानवीय ढग हर मानव के लिए, हर व्यक्ति के लिए लागू करना पडेगा, हम नही कह सकेगे कि इसको हम सीमित रखेगे अपनी सेना के लिए और उसके अतिरिक्त दूसरे जो लोग है चाहे वे आर्डिनेन्स फैक्ट्री मे काम करते हो चाहे बडे सस्थानो मे काम करते हो जहा पर भी है वहा अच्छा काम करते है, राष्ट्र की सेवा करते है उनके लिए लागू नही होगा । इसलिये जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा उसमे काफी बल होते हुये भी मै उनसे कहूगा कि जो उसके व्यापक असर होगे, उस असर की तरफ भी वे ध्यान रखे । जब शासन को ऐसी बातो पर निर्णय करना होता है तो हर एक पक्ष के ऊपर ध्यान देना होता है । माननीय पक्ष के ऊपर, शासकीय पक्ष के ऊपर, वित्तीय पक्ष हो तो उसके ऊपर और इस तरह जितने भी सम्बधित पक्ष है सब की तरफ देख कर उसको निर्णय करना होता है कि राष्ट्रहित मे सबसे उचितऔर सतुलित निर्णय क्या हो सकता है । यदि इसको केवल एक सीमित दृष्टि से देखा जाय तो हो सकता है कि हम यह कहे कि सेनाओ के जो अफसर थे उनके लिये जो यह किया गया इसमे दो तरह का विभेद किया गया और यह कोई अच्छी चीज नही दिखती है । सीमित दृष्टि से देखा जाय तो मै समझता हू कि यह चीज उचित नही दिखती पर यदि इसको व्यापक दृष्टि से देखा जाय तो इसमे मै समझता हू कि इस बात को बहुत ध्यानपूर्वक सोचना पडेगा कि किस ढग से इस विभेद को हम समाप्त कर सकते है । काफी महानुभूतिपूर्वक, काफी गम्भीरता से और गहराई से इस पूरे प्रश्न पर विचार किया गया और उसके बाद ही यह निर्णय किया गया कि अभी जिस प्रकार का हमने निर्णय लिया 1969 मे उस निर्णय को यदि हम उसके पहले भी लागू करें तो फिर इतनी लम्बी-लम्बी चीजे और इतने दूसरे तरह के व्यापक प्रश्न इसमे से आ जायेगे जिनके लिये नही करना सभव नही होगा और एक ऐसी स्थिति तैयार होगी जिसमे किसी के लिये भी नही करना सभव नही होगा । जो वित्तीय नियम बने हुये है, उनके अनुसार भी असाधारण परिस्थिति मे निर्णय करने के लिये जो गाइड लाइन्स बनी हुई

है उनके अनुसार हमको इसमें चलना ज्यादा श्रेयस्कर था । यह सोच कर इस बात का सरकार ने निर्णय किया कि जिन व्यक्तियों का जन, 1969 के पहले इमरजेंसी कमीशन में अलग किया गया था जो अलग हुये उनको इस तरह की सुविधाएं देने में ऐसी प्रशासकीय, वित्तीय और तरह-तरह की कठिनाइयां उत्पन्न होंगी जिनसे कुछ लोगों को फायदा अवश्य होगा पर बहुतों को उसमें काफी कठिनाई हो सकती है और जनहित में भी शायद यह बात पूरी तरह से न जमे । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस बात पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिये, चूंकि माननीय सदस्य ने इस बात को यहां पर उठाया है इसलिए हम लोग इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे और यह देखने का यत्न करेंगे कि किसी तरह से कोई रास्ता निकल सकता है या नहीं । मैं यह नहीं कह सकता कि कोई रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा । पर यह बात अवश्य है कि हम लोग मानवीय पक्ष से, न्यायोचित पक्ष से इस बात का देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम इसका हल निकाल सकें । पर यदि कोई हल न निकल सका और यदि हम आज की स्थिति में कोई फेरबदल न कर सकें तो माननीय सदस्य इस बात का कदापि यह मतलब न निकालें कि हम लोग इस बात का महत्व नहीं समझते हैं या इस बात को उचित नहीं मानते हैं । पर व्यापक रूप से देख कर हम इस बात को समझते हैं कि इससे व्यापक हितों की रक्षा नहीं हो सकेगी । तो फिर हो सकता है कि इस निर्णय को हम न बदलें । फिर भी हम लोग किसी तरह से बन्द दिमाग से इस प्रश्न पर विचार नहीं करेंगे, हम खुले रूप से इस बात के ऊपर विचार करेंगे और इस बात को सोचेंगे कि किस ढंग से हम कोई रास्ता निकाल सकते हैं । मैं कोई किसी तरह का आश्वासन नहीं दे रहा हूं। इस बात के ऊपर कोई आश्वासन देना बहुत कठिन बात होती है । मैं माननीय सदस्य से यह कहूंगा कि जहां तक हमारी इच्छा का सवाल है, इच्छा तो यही है कि जितने हमारे अधिकारी थे, जिन्होंने इमरजेंसी कमीशन लेकर काम किया उनसे हम अच्छी तरह से व्यवहार करें और सबके साथ समता का व्यवहार करें ।

दूसरी जो माननीय सदस्य ने वायु सेना द्वारा इमरजेंसी कमीशन के अधिकारियों को वापस लेने की बात कही, यह बात उन्होंने अपनी नोटिस में और दूसरी तरह से पहले बताई नहीं थी, इसलिए अभी मेरे पास उसकी सूचना तो नहीं है, पर जब आपने इस बात को उठाया है तो इसकी हम जरूर जांच करेंगे कि इसके बारे में क्या हो सकता है ।

डा० भाई महावीर श्रीमन्,

श्री उपसभापति : मंत्री महोदय ने जो कहा उसके बाद भी आप क्लेरीफिकेशन चाहते हैं क्या ?

डा० भाई महावीर Can I ask one small question ? मैं मंत्री जी से इतनी सी बात जानना चाहता हूं कि दो वर्ष का जो समय है जिसके बीच में इसको इंट्रोड्यूस किया गया और 6 जून, 1969 को आपने इस तरह का बेनिफिट लागू किया तो क्या आपके पास आंकड़े हैं कि अगर आप उस सारे बैच को एक साथ एक जैसा सलूक देते, एक ही व्यवहार उनके साथ करते तो कितने और लोग हैं जिनको यह बेनिफिट मिलेगा और उसमें सरकार के ऊपर कितना और आर्थिक बोझ पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ आश्वासन दिया भी है और कुछ नहीं भी दिया है । तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वे इतना तो कहें कि अगर वे उसे व्यवहारिक देखेंगे तो उन दो साल के लोगों को भी इसमें शामिल कर लेंगे ।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The Minister will reply in the end after listening to all the points.

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश) उपसभापति जी, मुझे ज्यादा नहीं कहना है । यह सवाल जो 16 नवम्बर को डा० भाई महावीर ने रखा था उसके उत्तर में यह बतलाया गया था कि 113 आफिसर्स ऐसे हैं जो रिटायर हुए थे 1969 की जून के पहले । श्रीमान जैसा कि डा० महावीर ने कहा, सवाल इस में यह है कि सब को इमरजेंसी कमीशन जो 1962 में बैठा उसने उन सभी को आफिसर बनाया और यह जो उनको अवकाश दिया गया यह जुलाई, 1967 से शुरू हुआ और 1970 में समाप्त हुआ । तो यह फेज्ड प्रोग्राम था । कुछ को 1967 में रिटायर किया गया, कुछ को 1968 में किया गया, कुछ को 1969 में दिया गया और कुछ को 1970 में दिया गया । इसमें यह बात मैं मानता हूं, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि शासन में इस तरह की बहुत सी दिक्कतें आती हैं । यह बात सही है कि अगर यह सुविधायें दे दी जायें तब जिनको रिटायर किया गया है उसमें ऐसा हो

[श्री नवल किशोर]

सकता है कि 113 से उनका नम्बर बढ़ जाय; क्योंकि और कैटेगरी के लोग भी उसमें हकदार हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि डा० महावीर जी ने कहा अपरेटली दिखाई पड़ता है कि डिस्क्रीमिनेशन हुआ है। उसको आपने भी अपने उत्तर में माना है। तो मैं यह चाहता हूं कि जैसा उन्होंने संकेत किया, मैं जानना चाहूंगा कि अगर वे 1967 में रिटायर न किये जाते और सबकी छट्टी 1969 के बाद होती तो जो ज्यादा पेंशन ग्रेच्युटी उनको सौ-सवा सौ रुपये महीने के हिसाब से आप देते है आज वह उन सबको देनी पड़ती। तो सिर्फ उन की गलती यह हुई कि वे दो साल पहले रिटायर हो गये। उनमें कुछ ऐसे भी हो सकते है कि जिनकी सर्विस बाद के लोगों से ज्यादा रही हो, लेकिन चूंकि 15 साल से कम थी, यही एक टेकनिकल प्वाइंट है। तो अगर सिर्फ कानूनी बात ही होगी तो उसकी बात मैं नहीं कहता, लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा आज की परिस्थिति में स्थिति को देखते हुए और यह देखते हुए कि जिन्होंने देश को अपना खून दिया है, जिन्होंने कुर्बानी की है वह आज बेकार पड़े हुए है इसे देख कर सचमुच में तकलीफ होती है। मंत्री जी ने कहा कि अगर इसका कोई हल निकल सकेगा तो वे देखेंगे। मैं एक बात उनसे कहना चाहता हूं कि अगर वे हल निकलना चाहेंगे तो जरूर हल निकल सकता है और नहीं चाहेंगे तो नहीं निकल सकता। अगर हल निकालने के लिए ब्योरोक्रेटिक एप्रोच होगा तो कोई हल नहीं निकलेगा। टेक्निकेलिटीज में फंस जाएंगे तो कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन अगर डिटर्मिनेशन हो कि हम उनकी मदद करेंगे या जैसा डा० भाई महावीर जी ने कहा कि आज भी जो युद्ध का वातावरण है उसमें हम को अफसरों और जवानों की आवश्यकता पड़ सकती है और इसलिए अगर कायदे और कानून में वे आ सकते हैं तो उनको टैप किया जा सकता है। तो मैं एक बात और कह कर अपनी बात खत्म करूंगा। इस मामले को उपाध्यक्ष जी पिटीशन्स कमेटी ने भी लिया था। 21 नवम्बर, 1968 को जो राज्य सभा की बैठक हुई थी, उसमें 20 अवकाश प्राप्त रिटायर्ड आफिसर्स के हस्ताक्षरों से श्री मोहन धारिया जी ने एक पिटीशन दिया था जो पिटीशन कमेटी में लिया गया और काफी विचार विनिमय के बाद उसमें आखिर में क्या निर्णय हुआ था उसे पढ़ कर मैं खत्म करूंगा। जो रिकमेंडेशन सर्वसम्मति से उन्होंने दी है, उसे पढ़ कर ही मैं खत्म करूंगा। उस कमेटी में इस मामले को थोरोली डिस्कस किया गया है और मैं यह भी बता दूं कि आप ने 43 परसेंट आदमियों को परमानेंट भी किया जो सलेक्शन बोर्ड के सामने गये, लेकिन फिर भी 57 परसेंट बचे और उनके सामने ही दिक्कतें है। उनके साथ हमदर्दी की बात की जाये, इसलिए मैं इस सवाल को उठा रहा हूं और यह कमेटी की रिकमेंडेशन का पैरा 19 है।

19वां पैराग्राफ है पेटीशंस की कमेटी रिकमेंडेशन का

"The Committee would like to point out that viewed in the context of the sense of frustration and disillusion which is looming large over a vast section of the educated unemployed in the country, the situation in respect of the unemployed released Emergency Commissioned Officers portends further social tension Government of India with its goal of Welfare State, which imposes on it the duty of looking after every citizen of India, cannot afford to neglect the interest of this band of young and dedicated persons who had served the country at a very critical period of her history and in doing so had often been called upon for making the supreme sacrifice. The Committee would like to place on record their appreciation of the glorious service of these youngmen to the Nation and feel that it is a national duty to settle them in gainful employment without delay."

इसको मैं आगे नहीं पढ़ता हूं मैं केवल यह दरख्वास्त करूंगा कि इन दिक्कतों के बावजूद भी इसका हल निकालियेगा तो निकल आयेगा, अगर हिम्मत के साथ मजबूती के साथ हल निकाला जायगा तब वाकई उनकी इमदाद हो जायगी।

SHRI VITHAL GADGIL (Maharashtra) Sir I will confine myself to the second point raised by Dr Mahavir, namely, re-employment Recently, about two months back, we hve started a centre for jawans in Bombay, and believe me, within two months we received hundreds of applications for jobs from Emergency Commissioned Officers and Jawans I am told that the principle of the Army organisation

is that the Army must be kept young The result is that a man joins at the age of 18 particularly jawans—and comes out at the age of 30, and he gets a pension of Rs. 28/-. Therefore, I would suggest that in all Government services, particularly in the statutory corporations, certain percentage of vacancies should be reserved for Emergency Commissioned Officers and Jawans, and the Government should also try to persuade industrialists to have some reservations. I would, therefore, request the Defence Minister to give an assurance to this House.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Persuasion does not work

SHRI VITHAL GADGIL .. that he will try to take some such steps so that vacancies are reserved for them in Government, in statutory corporations and also in private industries

SHRI CHITTA BASU (West Bengal) : Sir, I also would like to join my voice with Mr. Gadgil on the question of re-employment of the ECOs.

MR. DEPUTY CHAIRMAN . This is a very limited issue regarding discrimination

SHRI CHITTA BASU : Please see the List of Business. It is on re-employment also; the notice says something like that.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA . That is not the question.

SHRI CHITTA BASU : It is like that in the List of Business.

Sir the Petitions Committee had a very elaborate discussion on the problems of the ECOs—and both Mr A G. Kulkarni and I were on that Committee Sir, without discussing much, I would merely implore upon the hon State Minister of Defence that the entire Committee had taken the view that the ECOs had not been properly dealt with and it is necessary on the part of the Government to take better care of them. I would only like to mention a particular paragraph which will reveal the actual opinion or feeling or sentiments of the Committee in the matter of relief which has been provided for the ECOs. I read from page 8 of the Report :—

> "The Committee would also like to record that comparatively greater opportunities have been offered to the released Emergency Commissioned Officers recruited in 1962-63 than what were offered to the officers released immediately after the 2nd World War."

Sir, again there are many things in this Report wherein the entire Petitions Committee headed by Mr Chandra Shekhar had reviewed that we should have much more sympathetic consideration to the ECOs and, in that context, I would only want it to be let known to the House that the considerable number of persons who were recruited as ECOs was 9,083 and the number of those who were absorbed in permanent commissions was only 1,760 Rehabilitation so far has been given only to 1,586. Therefore, it means that about 5,000 ECOs have not been provided with any rehabilitation or re-employment Another thing which is also very important to notice is that out of these 3 147 re-employed ECOs only 121 persons could find jobs in private organisations

Therefore, Sir, there has not been an adequate opportunity for these ECOs to be re-employed after their retirement and yet when this Petitions Committee has taken a sympathetic view, I would urge upon the Government to reconsider the issue of their retirement and giving them the benefit of proportionate pension scheme It has been reported to me that by terminal, the benefit that the Jawan gets, is a very small amount of Rs. 3,000 or Rs 4,000 whereas had he been entitled to the proportionate pension scheme, he would have got something like Rs. 30,000 or so. This is a huge gap between the terminal benefit and the pension and the proportionate pension scheme. Therefore, having regard to these young men who bore the brunt of war in 1962 and 1965, they should have got a more sympathetic treat-

[Shri Chitta Basu]

ment from the Government of India So far as the precedent is concerned I do not know, I have got nothing to say against any officer in any other Department but these ECOs in particular are to be placed on a different footing They bear the brunt of war and therefore their case has become all the more discriminatory Only because of the fact that the ECOs joined earlier have been denied this benefit That is those who retired before June 1969 they are being penalised although they have put in their services they have undergone all the rigorous of life they have built up the Commission When the question of retirement comes they have been deprived of these smaller benefits which they are entitled to and I think the Government should reconsider the issue and give a firm assurance to this House and having regard to the sympathetic view that has been taken by the Petitions Committee as a whole he should reconsider the issue and give them the benefit of proportionate pension scheme

SHRI KRISHAN KANT (Haryana) Mr Deputy Chairman, I speak more with agony and pain rather than anger When our jawans and military people are guarding our borders a sensitive Minister like Mr Shukla came to this House without any decision

SHRI A G KULKARNI Emotional or sensitive ?

SHRI KRISHAN KANT He is very sensitive to the difficulties and pains of the people I hope Mr Kulkarni understands me

When the records of this discussion go to the press today or tomorrow, what will the people feel ? The whole fault of the people who have not been given pension benefit is that they responded to the call of patriotism first It was the intensity of patriotism because of which they are suffering and how are we dealing with that question ? Maxim Gorky while writing one of his novels said that those people who continue to eat copper, their souls get stunted Like that, Dhanna said while dealing with money matters that the wooden bureaucrats always think of money in plus and minus and never in terms of the human beings The citizens of the country would be suffering if these jawans did not protect our frontiers I do not know why before coming to this House the Ministry of Defence did not get clearance from the Ministry of Finance and come with the declaration "Yes here is a mistake on our part and we are rectifying this Here I will give an example of what Gandhiji said in 1939 or 1940 All of a sudden one day in 'Harijan he wrote I am increasing the daily allowance of the spinners from two annas to eight annas People asked Gandhiji ' There was no need about it there was no petition or agitation by spinners But there was no need of putting petitions before Gandhiji because his fingers were on the pulse of the people, he new the difficulties of the people he knew the tortures That is why all of a sudden without any protest he increased the daily allowance of spinners That is the picture of a real democratic man and that should be of a democratic country and the democratic Government must behave with the people in this manner And on this issue I think the Petitions Committee is there I do not want to quote but my friends have quoted It seems that the Government is deaf the bureaucracy is deaf and nothing gets moved even at this time when we are faced with another danger What will our jawans think ? They will feel, if we lay down our lives tomorrow for the sake of our country will our families be looked after ? Mr Deputy Chairman I would appeal to the Government to say something today that within a period of one week or so this mistake will be rectified after due consultation with the Finance Ministry Let not the Finance Ministry behave like Dhanna Seth in this respect They should be responsive and within one week this should be rectified in fairness to those who have served this country and who have been thrown out because of a certain policy of the Government Otherwise they could

have remained in the Army. The Government's own policy mistake should be rectified. Thank you.

श्री विद्या चरण शुक्ल उपसभापति जी, माननीय सदस्य श्री महावीर जी ने प्रश्न पूछा था कि इसमे कितने आफिसर है, जिनको यह तारीख के खयाल के कारण उन सुविधाओ से बचित रहना पडा। ऐसे आफिसरों की सख्या जो तीनो सर्विसेज को बिलाग करते है, जो आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के है उनकी सख्या 113 है, इस तरह से 113 हमारे अधिकारी है, इससे कितना हमारा खर्चा घटता और बढते है, इसके आकडे मेरे पास नही है। पर जहा तक मै समझता हू इस प्रश्न मे पैसे का सवाल नही है, बल्कि जितना सवाल नियम का है और उसके व्यापक प्रभाव मे उसके ऊपर इस तरह का निर्णय किया गया है ।

मै माननीय सदस्य श्री कृष्णकान्त का अनुग्रहित हू कि उन्होने इस वक्त जोरो से इस केस का और इस विषय का समर्थन किया और कहा कि इसके ऊपर तत्काल निर्णय होना चाहिये। मैंने पहिले ही कहा कि हम इस प्रश्न पर फिर से विचार करेगे और इस बात को देख कर कि किस तरह से हम इसको एक सीमित प्रश्न मान कर उसके ऊपर कुछ निर्णय ले सकते है । यदि इसकी व्यापकता को कम कर सकते है तो एक सीमित प्रश्न मान कर उसके ऊपर निर्णय ले सकते है, ताकि उसकी व्यापकता पर प्रभाव न पडे और तब मै समझता हू कि उस पर निर्णय लेने मे कितनी सुविधा होगी ।

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh) : This must be treated differently.

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध मे जो सर्वसम्मति से अपने विचार और दृष्टिकोण प्रकट किये, उसमे भी हम लोगो को इस पर विचार करने के लिए काफी सावधा मिलेगी और उसके बारे मे ठीक निर्णय करने हमे सहायता मिलेगी ।

श्री नवल किशोर जी ने कहा कि मन होगा तो निर्णय हो सकते है । मन तो है, लेकिन मै यह नही कह सकता हू कि मन होने पर भी निर्णय हो सकेगा या नही । (Interruption) आपकी जो आशा है वह पूरी होगी या नही, यह मै नही कह सकता हू ।

श्री गाडगिल और श्री चित्त बासु ने कुछ दूसरे प्रश्न उठाये और कहा कि जो हमारे कमिशन्ड आफिसर है, उन्हे सेना मे निकालने के बाद कोई काम नही मिला है । यह बात ठीक है कि बहुत बड़ी सख्या मे ऐसे लोग बाकी है, जिनको अभी तक काम नही मिला है। माननीय सदस्य यह जानते है कि सरकार के द्वारा हर तरह के प्रयत्न किये जा रहे है, ताकि उन्हे तरह-तरह का काम दिया जा सके। जो सघीय लोक सेवा आयोग है, उसकी परीक्षा में उनके स्थान सुरक्षित है । इसके साथ ही साथ जो दूसरी सरकार के अन्तर्गत सस्थान है और सरकारी नौकरियो मे भी उनके लिए विशेष रूप से प्रवधान किया गया है । इसके साथ ही साथ बहुत सी ऐसी चीजे है, जैसे इंडियन आयल कारपोरेशन है, उसमे जिस तरह से अन-एम्पलाइड इजीनियर्स को पैट्रोल की एजेन्सी देने के लिए कहा गया है, उसी तरह की सुविधा इन लोगो को भी दी जा रही है और यह कोशिश की जा रही है कि नौकरियो मे और दूसरे धन्धो में इन लोगो को सुविधा दी जाय, जिससे यह लोग काम कर सकें । इसका फायदा बहुत बडी मात्रा मे है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग बच गये है, जिनकी समस्या का हल नही निकल पाया है और वे बेकार है। हमारे प्रयत्न जारी है कि इस समस्या का भी हल निकाले; क्योकि यह बात ठीक है कि जो व्यक्ति हमारे देश की सकट की घड़ी मे अपने प्राणो की बाजी लगा कर नागरिको की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, स्वतत्रता की सुरक्षा के लिए आगे बढते है और कठिनाई का, सकट का समय बीत जाने के बाद हम उनके साथ साधारण रूप से व्यवहार करे, उनकी मागो पर साधारण ढग से सोच विचार करे तो फिर हमारे देश के जवानो के मनोबल मे कमी होना या देश के शासन के प्रति उनके मन मे अविश्वास होना अस्वाभाविक बात नही होगी ।

DR. BHAI MAHAVIR : Will you try and reabsorb them in the Army ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : आर्मी के लिए जो सुझाव है, इससे मै नही समझता कि हम लोग कुछ कर सकते है; क्योकि जब यह सेना वाले जवानो को लेते है तो उनकी उम्र के बारे मे शारीरिक स्थिति के बारे मे और बहुत सी जो दूसरी उपलब्धिया रहती है, उनके बारे मे सोच विचार करके लेते है । यदि उसके अन्तर्गत वे आते तो मै नही समझता दुबारा लिए जाने मे किसी तरह की आपत्ति होगी, परन्तु जो एक स्टैंडर्ड नियत किया गया है, उसके अर्न्तगत नही आएगे तो मै नही समझता कि यह देश के हित मे होगा कि उन स्टैंडर्ड्स को नीचा करके या ढीला करके उनको लेने का यत्न करें । जो दूसरी बहुत सी आर्थिक गतिविधिया हमारे देश मे चल

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

रही है, उनमें हम लोगों को सहायता करनी चाहिए कि उनको सम्मिलित कर सकें। मैं पुनः माननीय सदस्यों को विशेष कर डा० महावीर और श्री कृष्णकान्त जी और दूसरे भाइयों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस बहस में भाग लिया और इस प्रश्न की ओर शासन का और देश का ध्यान आकर्षित कराया।

MR DEPUTY CHAIRMAN The House stands adjourned till 11 A M. on Monday, the 29th November.

The House then adjourned at forty-three minutes past five of the clock till eleven of the clock on Monday, the 29th November, 1971.

MGIPRRND 13 RSS/71 –Sec. III—12-2-72 –570.